भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4186

सोमवार, 22 मार्च, 2021/1 चैत्र, 1943(शक)

एप आधारित सेवाओं में कामगार

4186. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एप आधारित कैब चालक, होम डिलीवरी राइडर जैसे असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को मंत्रालय की सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ईएसआईसी सुविधा, पेंशन योजना आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए कानूनों में संशोधन करके या अधिसूचना द्वारा इन क्षेत्रों में संगठित कामगारों को ये सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कामगारों को ये सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) को भारत के राजपत्र में दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है। संहिता में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों तथा प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाएं तैयार करने की परिकल्पना की गई है।

जैसे ही सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 प्रभाव में आती है, संगठित तथा असंगठित कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य लाभों के साथ लाभ प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार की जा सकेंगी।

****